भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1161
उत्तर देने की तारीख 27 जुलाई, 2026
5 श्रावण, 1948 शक (शक)

राज्यों में स्वदेशी और ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना

†1161 श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में स्वदेशी और ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली में ऐसे खेलों में प्रतियोगिताएं आयोजित करने और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में शामिल किए गए स्वदेशी खेलों की संख्या कितनी है और इनका आयोजन-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त पहलों का उक्त राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र में जमीनी स्तर पर खेलों में भागीदारी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है और साथ ही उक्त कार्यक्रमों के तहत पंजीकृत प्रतिभागियों की संख्या कितनी है ?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ) : 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण देशज एवं ग्रामीण खेलों के संवर्धन के लिए कदम उठाना, प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा जमीनी स्तर पर खेलों में भागीदारी में वृद्धि करने सहित खेलों के विकास का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ

राज्यक्षेत्र की सरकारों का होता है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश में देशज और ग्रामीण खेलों सहित खेलों के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित करता है :

(i) खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;
(ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता;
(iii) अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं तथा उनके कोचों को नकद पुरस्कार;
(iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;
(v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;
(vi) खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम;
(vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि;
(viii) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन; तथा
(ix) राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र (एनसीएसएसआर)।

उपर्युक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, खेलो इंडिया स्कीम का 'ग्रामीण एवं देशज/जनजातीय खेलों का संवर्धन' नामक उप-घटक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सहित देश में विशेष रूप से ग्रामीण एवं देशज खेलों के विकास एवं संवर्धन के लिए है। इस उप-घटक के अंतर्गत मलखंभ, कलारिपयाट्टू, गतका, थांग-टा, योगासन तथा सिलम्बम जैसे देशज खेलों को संवर्धन हेतु चिन्हित किया गया है।

पिछले पांच वर्ष के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सहित देशभर में देशज एवं ग्रामीण खेलों की प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण के लिए आवंटित धनराशि तथा किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रु.)

वित्त वर्ष	आवंटित धनराशि	किया गया व्यय
2025-26	2347.14	2228.88
2024-25	2332.50	2136.97
2023-24	2380.86	2329.35
2022-23	1907.69	1879.99
2021-22	1993.00	1748.76

साथ ही, योगासन, कबड्डी और खो-खो जैसी देशज खेल विधाओं के लिए प्रशिक्षण, कोचिंग शिविरों, उपकरणों, प्रतियोगिताओं तथा एथलीटों को सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

पिछले पांच वर्ष के दौरान, तीन देशज खेलों अर्थात् योगासन, खो-खो और कबड्डी को राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, पांच देशज खेल विधाओं अर्थात् मलखंभ, थांग-टा, कलारिपयाट्टू, गतका और योगासन को खेलो इंडिया यूथ गेम्स तथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अनेक संस्करणों में शामिल किया गया है, जबकि तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान सिलम्बम को प्रदर्शन खेल के रूप में भी शामिल किया गया था।

इन पहलों ने खेलो इंडिया की रूपरेखा, भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल संवर्धन स्कीमों तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों को प्रदान की जाने वाली सहायता के माध्यम से प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं एवं प्रतिभा पहचान के अवसरों का विस्तार कर जमीनी स्तर पर खेलों में भागीदारी को सुदृढ़ किया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता के संशोधित मानदंडों के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए उनके वार्षिक बजट का कम से कम 20% जमीनी स्तर पर खेलों के विकास के लिए निर्धारित करना आवश्यक किया गया है, जिससे ऐसे कार्यक्रमों के अंतर्गत भागीदारी और नामांकन में और वृद्धि होने की आशा है।
